न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./58/2022

धर्मसिंह पुत्र दुर्गसिंह जाति जाट निवासी ग्राम कसोदा तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–मानसिंह
2–रनवीर सिंह
3–शंकरसिंह
} पि0 दुर्गसिंह जाति जाट नि0 कसौदा तहसील व जिला भरतपुर

4–दिनेश परमार, उपखण्ड अधिकारी भरतपुर।

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी भरतपुर श्री दिनेश परमार व मुकदमा धर्मसिंह बनाम मानसिंह आदि दावा व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. मिसिल नम्बर 28/2022

———

उपस्थितः–
1–श्री जितेन्द्र कुमार कदर्म, अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री प्रमोद उपमन, अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय दिनांक 30.11.2022

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. इस आशय का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि एक मुकदमा उनवानी धर्मसिंह बनाम मानसिह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर में विचाराधीन है, जिसमें तहत न्यायालय ने स्टे जारी किया हुआ है। तहत न्यायालय में दिनांक 24.5.2022 को प्रतिवादी के वकील साहब ने वादी प्रार्थी के सामने यह कहा कि अगली तारीख पेशी पर स्थगन आदेश को कैंसिल करा दूंगा। दावा में तहत न्यायालय द्वारा नजदीकी तारीख पेशीयॉ दी जारही हैं। पीठासीन अधिकारी एस.डी.ओ. भरतपुर से न्याय की कोई उम्मीद नही है। इस लिये तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी0 की तलब की गई एवं एस.डी.ओ. भरतपुर से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि उसका प्रार्थना पत्र अंकित कथन ही उसकी बहस शुगार की जावे। योग्य अभिभाषक ने तर्को में जाहिर किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यों से परे पेश किया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मनगढ़त आरोप लगाये हैं। प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का मकसद केवल तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा को देरीना की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जावे।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन करते कहा कि उसके प्रार्थना पत्र में अंकित कथन ही उसकी बहस हैं। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने भी अपने जबाब में अंकित तथ्यों को ही बहस शुमार किये जाने प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का अवलोकन किया। अभिभाषक अप्रार्थी के तर्को पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने जुबानी आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे उसके जुबानी आरोपों की पुष्टी होती हो। प्रार्थी का उद्वेश्य तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को देरीना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30–11–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर